उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, 12, दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. 197.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर (वर्ग 3 पद) भर्ती नियम, 1958 को, जहां तक कि उनका संबंध सहायक प्रयोगशाला भंडारी के पद से है, और राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर (प्रयोगशाला भंडारी और ज्येष्ठ कारख़ाना भंडारी) भर्ती नियम, 1981 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधीन राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर में भंडारी श्रेणी -1 और भंडारी श्रेणी -2 के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर (भंडारी श्रेणी-1, भंडारी श्रेणी-2), भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) तक विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताऐ आदि :- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा उनसे संबंधित अन्य बातें वें होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरहर्ता :- वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह करने की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है, कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन है तथा ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह, किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहाँ उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध कराके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

6. व्यावृति .- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेंगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध मे समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है|

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
भंडारी श्रेणी-1	(01)* 2022 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय|	स्तर – 4 (25,500-81,100 रुपये)

चयन या अ चयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य आहर्ताएं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक आहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो,	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	संयुक्त पद्धति द्वारा प्रतिनियुक्ति (जिनके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/प्रोन्नति

प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/प्रोन्नति केंद्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी,- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) जिन्होनें मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर – 2 (19900-63200 रु.) में उस पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अहर्ताएं और अनुभव है:- और (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, और (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कोई कानूनी संगठन, पब्लिक सेक्टर उपक्रम, स्वशासी निकाय, विश्वविद्यालय या, बैंक या भारत के स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध प्राइवेट सेक्टर संगठन के भंडार या संस्था में भंडार संभालने और भंडार में लेखा रख-रखाव में दो वर्ष का अनुभव अथवा (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या व्यवसाय अध्ययन या लोक प्रशासन विषय में स्नातक डिग्री.

टिप्पण 1.- वेतन मेट्रिक्स के स्तर 2 (19900-63200 रु॰) में ऐसे विभागीय भंडारी श्रेणी 2 जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो, बाहय व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उस पद पर नियुक्ति के लिए उसका चयन कर लिया जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भर लिया गया समझा जाएगा।

टिप्पण 2.- पोषक संवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4.- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	**(13)**
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
भंडारी श्रेणी - 2	(01*) 2022 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर – 2 (19,900-63,200 रुपये)।

चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य आहर्ताएं
(5)	**(6)**	**(7)**
लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष की आयु के बीच केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार, सरकारी सेवकों के लिये 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण-**आयु सीमा को अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप लद्दाख या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिये विहित है) या	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, स्वशासी निकाय/कानूनी संगठन, पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या बैंक या भारत के स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध प्राइवेट संगठन के भंडार या संस्था में भंडार संभालने और भंडार में लेखा रख-रखाव में एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1-**अहर्ताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी या कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2-**अनुभव संबंधी अर्हता (अहर्ताएं), कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी या कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और

	आयु सीमा को अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा विज्ञापित होगी।	अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी या कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है की उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या के उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक आहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो,	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	**(9)**	**(10)**
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा- **टिप्पण 1:**-पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्ही अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि तक बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जायेगी जो, (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; और (ख) जिनके पास स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित शैक्षिक अहर्ताएं और अनुभव है। **टिप्पण 2:**-प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	**(12)**	**(13)**
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर – अध्यक्ष; 2. सहायक आचार्य, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - सदस्य; 3. कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/1/2017-एसए]

ज्योत्स्ना गुप्त, उप सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

New Delhi, the 12th December, 2022.

G.S.R. 197.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Sugar Institute, Kanpur (Class III posts) Rules, 1958, in so far as they relate to the post of Assistant Laboratory Store Keeper, and the National Sugar Institute, Kanpur (Laboratory Store Keeper and Senior Factory Store Keeper) Recruitment Rules, 1981, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Store Keeper Grade-I and Store Keeper Grade-II in the National Sugar Institute, Kanpur, under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, namely : –

1. **Short title and commencement**.– (1) These rules may be called the National Sugar Institute, Kanpur (Store Keeper Grade-I and Store Keeper Grade-II) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix**.– The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc**.– The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification**.– No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**.– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings**.– Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Store Keeper Grade-I.	**(01)* 2022** * Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-4 (Rs. 25,500 – Rs. 81,100).

Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By Composite method: Deputation (including short-term contract) /promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)
Deputation (including short-term contract)/promotion: Officers under the Central Government,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post in Level-2 (Rs. 19,900 – Rs. 63,200) in the pay matrix; and (b) possessing the following educational qualifications and experience:- (i) 12th class pass from a recognised Board or University; and (ii) two years experience in handling stores and keeping accounts in a store or a concern of the Central Government or State Government, or of any statutory organisation, public sector undertaking, autonomous body, University or Bank or in a private sector organisation listed on the stock exchange of the India; or Bachelor's degree with Commerce or Economics or Statistics or Business Studies or Public Administration as a subject from a recognised University or Institute. **Note 1.-** The departmental Store Keeper Grade –II in level 2 (Rs. 19,900-63,200) in the pay matrix with eight years' regular service in the grade shall also be considered along with outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled-up by promotion. **Note 2.-** The department officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 3.-** Period for deputation (including short-term contract) including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 4.-** The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
2. Store Keeper Grade-II.	**(01)* 2022** * Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 (Rs. 19,900 – Rs. 63,200).

Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Not applicable.	Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 1:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh or Lakshadweep); or The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	(i) 12th Pass from a recognised Board or University; (ii) one year experience in handling stores and keeping accounts in a store or a concern of the Central Government or State Government, or of any autonomous body, statutory organisation, public sector undertaking, or University or in any private organisation listed on a stock exchange of India. **Note 1:** Qualification is relaxable at the discretion of the Competent Authority or Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority or Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent Authority or Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidate from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years.	Direct Recruitment. Note 1.- Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government: (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7). Note 2.- The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- (1). Senior Administrative Officer, National Sugar Institute, Kanpur – Chairperson; (2). Assistant Professor of Sugar Technology, National Sugar Institute, Kanpur – Member; (3). Junior Technical Officer, National Sugar Institute, Kanpur – Member.	Not applicable.

[F.No. A-12018/1/2017-SA]

JYOTSNA GUPTA, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA